भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4075
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

निधि का कम उपयोग

4075. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी चौथी समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 1580 करोड़ रुपये और 1307 करोड़ रुपये की निधि के कम उपयोग का मामला उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मंत्रालय को आवंटित निधि के इष्टतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

क. जी हां।

ख. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के घटकों के बीच निधियों को पुनः आवंटित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन का संशोधन।
2. आवंटित निधियाँ जारी करने और उनके उपयोग के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का समय पर संचालन (हाइब्रिड टीएसए और एसएनए स्पर्श मॉडल के तहत खाते खोलना और उनका अनुमोदन)।
3. नियमित बात-चीत और परामर्श करके पीएफएमएस में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समय पर समाधान।
4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं का समय पर मूल्यांकन और अनुमोदन तथा निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एनएससी बैठकों के माध्यम से समय-समय पर उनका संशोधन।
5. पत्रों, ई-मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) बैठकों आदि के माध्यम से वास्तविक और वित्तीय प्रगति (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय सहित) की नियमित समीक्षा।
6. पीएफएमएस पोर्टल के व्यय अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से व्यय की ऑनलाइन निगरानी।

****